

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA,
EXTRAORDINARY, PART-II, SECTION 3, SUB-SECTION (i)
OF DATED 28/5/2009]

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28/5/2009

G.S.R. (E).-- In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2008 (Punjab Act No. 14 of 2008), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-

MODIFICATIONS

1. In sub-section (1) of section 1, after the words and figure "the Punjab Value Added Tax Amendment Act, 2008", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.
2. In section 2, after the words and figures "the Punjab Value Added Tax Act, 2005", the words, "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted.
3. In sub-section (1) of section 8-A, which is directed to be inserted in the principal Act by Section 3, for the words, "State Government", occurring at both the places, the word "Administrator" shall be substituted.

ANNEXURE

THE PUNJAB VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2008 (PUNJAB
ACT NO. 14 OF 2008)

1 (1) This Act may be called the Punjab Value Added Tax (Amendment) Act, 2008.

Short title and
Commencement.

(2) It shall come into force at once.

2. In the Punjab Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 2, in clause (zg), in the Explanation, after item (7), the following item shall be added, namely:-

Amendment in section 2 of Punjab Act 8 of 2005.

“(8) The amount received or receivable by oil companies for the sale of diesel and petrol, shall be deemed to be equivalent to the price, on which the retail outlets will sell these commodities to the consumer”.

3. In the principal Act, after section 8, the following section shall be inserted, namely:-

Insertion of new section 8-A in Punjab Act 8 of 2005.

“8-A. (1) Notwithstanding anything contained in any provision of this Act, the State Government, if satisfied that it is necessary or expedient so to do in public interest, may, by notification in the Official Gazette, direct that in respect of any goods or class of goods a person may, at his option, pay such lump-sum tax, subject to such conditions, as the State Government may specify in the notification.

(2) In case, a person opts for payment of lump-sum tax, under sub-section (1), he shall not, -

(a) issue VAT invoice for sale of goods made by him, and no taxable person, to whom goods are sold by such person, shall be entitled to claim any input tax credit in respect of such sale; and

(b) be entitled to claim any input tax credit and purchase made by him.

(3) The person, who has opted under sub-section (1) shall be at liberty to cancel his option by making an application to the designated officer in such form, as may be prescribed”.

4. In the principal Act, in section 19, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

Amendment in section 19 of Punjab Act 8 of 2005.

“(5) Input tax credit, on the goods specified in schedule ‘H’ or the products manufactured there from, when sold in the course of inter-State trade or commerce, shall be available only to the extent of Central Sales Tax, chargeable under the Central Sales Tax Act, 1956”.

5. In the principal Act, in section 93, in sub-section (2), in clause (a), for the word and sign "assessment", the words and sign "assessment, deemed assessment," shall be substituted".

Amendment in
section 93 of
Punjab Act 8 of
2005.

[F. No. U -11020/2/2007 -UTL]

B. Bhamathi
(B. Bhamathi) 28/5/09

Joint Secretary to the Government of India

To

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri, New Delhi

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख 28/5/2009

सा.का.नि.....(अ) केन्द्रीय सरकार राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंजाब मूल्यवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का पंजाब अधिनियम सं. 14) को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से पंजाब राज्य में यथाप्रवृत्त निम्नलिखित उपांतरणों सहित चंडीगढ़ राज्यक्षेत्र में विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

1. धारा 1 की उपधारा (1) में, “पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008” शब्दों और अंकों के पश्चात् “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
2. धारा 2 में, “पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005” शब्द और अंकों के पश्चात् “चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को यथाविस्तारित” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
3. धारा 8क की उपधारा (1) में जो धारा 3 द्वारा मूल अधिनियम में अंतःस्थापित किया जाना निर्देशित है, दोनों स्थानों पर आने वाले “राज्य सरकार” शब्दों के स्थान पर “प्रशासक” शब्द रखे जाएंगे।

उपाबंध

पंजाब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का पंजाब अधिनियम 14)

- 1.(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जब मूल्य वर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2008 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ
(2) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।
2. पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (यछ) के स्पष्टीकरण में मद सं. 7 के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ा जाएगा, अर्थात् :-
“(8) डीजल और पेट्रोल के विक्रय के लिए तेल कंपनियों द्वारा प्राप्त या प्राप्य रकम ऐसी कीमत के समतुल्य समझी जाएगी जिसपर खुदरा विक्रेता इन वस्तुओं को उपभोक्ता को बेचेगा।”
2005 के पंजाब अधिनियम सं. 8 की धारा 2 का संशोधन।
3. मूल अधिनियम में धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
“ 8क. (1) इस अधिनियम में किसी उपाबंध में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार का यदि यह समाधान हो जाता है कि यह लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि किसी माल या माल के वर्ग की बाबत कोई व्यक्ति अपने विकल्प पर ऐसा एक मुश्त कर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगा जो राज्य सरकार इस अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।
(2) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन एक मुश्त कर के संदाय का विकल्प चुनता है तो वह, -
(क) अपने द्वारा किए गए माल के बिक्री के लिए वैट बीजक जारी नहीं करेगा और कोई कराधेय व्यक्ति जिसे ऐसे व्यक्ति द्वारा माल बेचा गया है ऐसी विक्रय की बाबत किसी निवेश
2005 के पंजाब अधिनियम सं. 8 में नई धारा 8क का अंतःस्थापन।

कर जमा के दावे का हकदार नहीं होगा ; और

(ख) किसी निवेश कर जमा और अपने द्वारा किए गए क्रय के दावे का हकदार नहीं होगा ।

(3) ऐसा व्यक्ति जिसने उपधारा (1) के अधीन विकल्प चुना है ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए पदाविहित अधिकारी को आवेदन करके अपना विकल्प रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा ।”

4. मूल अधिनियम की धारा 19 में उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-


2005 के पंजाब
अधिनियम 8 की
धारा 19 का
संशोधन ।

“ (5) अनुसूची ‘ ज ’ में विनिर्दिष्ट माल पर या उससे विनिर्मित उत्पादों पर जब अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के अनुक्रम में विक्रय किया गया हो, निवेश कर जमा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 के अधीन प्रभार्य केन्द्रीय विक्रय कर के सीमा तक ही उपलब्ध होगा ।”

5. मूल अधिनियम की धारा 93 की उपधारा (2) के खंड (क) में “ निर्धारण,” शब्द और संकेत के स्थान पर “ निर्धारण, मानित निर्धारण,” शब्द और संकेत रखे जाएंगे ।

2005 के पंजाब
अधिनियम 8 की
धारा 93 का
संशोधन ।

[फा.सं. यू-11020/2/2007-यूटीएल]


(बी. मामाथी)
संयुक्त सचिव